



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1258]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 2, 2011/आषाढ़ 11, 1933

No. 1258]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 2, 2011/ASADHA 11, 1933

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2011

का.आ.1527(अ).—प्रारूप नियम अर्थात् अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबंध और प्रहस्तन) संशोधन नियम, 2011 भारत के राजपत्र में असाधारण, तारीख 25 अप्रैल, 2011 में भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 782(अ), तारीख 21 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, पंद्रह दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप या सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 5 मई, 2011 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्राप्त नियम के संबंध में जनता से उक्त अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेप और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबंध और प्रहस्तन) नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबंध और प्रहस्तन) (संशोधन) नियम, 2011 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबंध और प्रहस्तन) नियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“2 (1) नियम 5 और नियम 8 के उपबंध सम्बद्ध विनिर्माण इकाई के स्वामी या अधिष्ठाता द्वारा प्राप्त किए गए निर्यात के लिए किसी आदेश के विरुद्ध अनन्य रूप से निर्यात प्रयोजनों के लिए कैंरी बैगों के विनिर्माण को लागू नहीं होंगे।”

(2) यह छूट किसी अधिशेष या निराकृत अवशेष और इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं पर लागू नहीं होगी।

3. उक्त नियमों के नियम 3 में, —

(क) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(ख) “कैरी बैग” से वस्तुओं के वहन करने या वितरण करने के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किसी प्लास्टिक सामग्री से बने बैग अभिप्रेत है किंतु इसमें वह बैग सम्मिलित नहीं है जो पैकिंग के समग्र भाग का निर्माण करते हैं या बनाते हैं जिसमें उपयोग से पूर्व माल को मुहरबंद किया जाता है”;

(ख) खंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड शब्द रखा जाएगा, अर्थात् :-

(छ) “विस्तृत उत्पादक का उत्तरदायित्व (ईपीआर)” से प्लास्टिक कैरी बैगों और बहुस्तरीय प्लास्टिक पाउचों और थैलियों तथा ऐसे कैरी बैगों और ऐसे ब्रांड के स्वामी हैं जो ऐसे कैरी बैगों और बहुस्तरीय प्लास्टिक पाउचों और थैलियों का जब तक कि उसका जीवन समाप्त न हो, पर्यावरण रूप से सुदृढ़ प्रबंध के लिए उपयोग कर रहे हैं, का विनिर्माणकर्ता का उत्तरदायित्व अभिप्रेत है ;”

(ग) खंड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(झ) “विनिर्माता” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो प्लास्टिक कैरी बैगों या बहुस्तरीय प्लास्टिक पाउचों या थैलियों या उसी प्रकार की वस्तुओं का विनिर्माण कर रहा है ;”;

(घ) खंड (ट) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(ट) “बहुस्तरीय प्लास्टिक पाउच या थैली” से पैकिंग सामग्री जैसे कागज, कागज बोर्ड धात्विक स्तर या एल्युमिनियम पन्नियां या लैमिनेट रूप में या सह बहिर्वेधन संरचना के रूप में हों, के एक या अधिक स्तरों के संयोजन से कम से कम प्लास्टिक का एक स्तर वाली पाउच या थैली अभिप्रेत है ;”;

(ड) खंड (ड) में, “बहुस्तरीय पैकेजिंग” शब्दों के स्थान पर “बहुस्तरीय प्लास्टिक पाउच या थैली आदि” शब्द रखे जाएंगे ;

(च) खंड (ढ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

(ढ) “रजिस्ट्रीकरण” से यथास्थिति, संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति से प्लास्टिक के कैरी बैग, बहुस्तरीय प्लास्टिक पाउच या थैली या प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनःचक्रण की विनिर्माण इकाइयों का रजिस्ट्रीकरण अभिप्रेत है ;

4. उक्त नियमों के नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“4(क) रजिस्ट्रीकरण, विनिर्माण और पुनःचक्रण से संबंधित इन नियमों के उपबंधों के प्रवर्तन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण समिति होगी ;

(ख) प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग, संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन और व्ययन से संबंधित इन नियमों के उपबंधों के प्रवर्तन के लिए संबद्ध नगरपालिका प्राधिकरण विहित प्राधिकरण होगा ।

5. उक्त नियमों के नियम 5 में,-

(क) के खंड (क) में, “सफेद” शब्द के स्थान पर “प्राकृतिक रंगत (रंगहीन) जो किसी मिलाए गए रंजकों के बिना हैं” शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) उपखंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(छ) प्लास्टिक सामग्री का उपयोग किसी भी रूप में गुटखा, पान मसाला और सभी रूपों में तंबाकू की पैकिंग के लिए नहीं किया जाएगा ।”।

6. उक्त नियमों के नियम 6 में,-

(क) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(घ) (i) प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए संग्रहण प्रणालियों का गठन के लिए संबद्ध नगरपालिका का उत्तरदायित्व होगा और इस प्रयोजन के लिए उक्त नगर पालिका प्राधिकरण प्लास्टिक कैंरी बैगों, बहुस्तरीय प्लास्टिक पाउचों या थैलियों के विनिर्माता या ऐसे, ब्रांड स्वामी जो ऐसे उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं, की सहायता ले सकेगा ;

(ii) नगर पालिका प्राधिकरण, उत्पादक के विस्तारित उत्तरदायित्व पर आधारित क्रियाविधि की रूपात्मकता पर कार्य कर सकेगा जिसमें ऐसे विनिर्माता जिनकी अधिकारिता के भीतर रजिस्ट्रीकृत कार्यालय हैं और ऐसे ब्रांड स्वामी जिनकी अधिकारिता के भीतर रजिस्ट्रीकृत कार्यालय हैं, को अंतर्वर्तित करते हुए यथासाध्य या तो वैयक्तिक रूप से या सामूहिक रूप से अपने स्वयं के अभिकरणों के माध्यम से संग्रहण प्रणालियों के गठन पर कार्य कर सकेगा ;”;

(ख) खंड (ज) में “प्रदूषण सन्नियमों” शब्दों के स्थान पर “प्रदूषण नियंत्रण सन्नियमों” शब्द रखे जाएंगे ।

7. उक्त नियमों के नियम 8 में “बहुस्तरीय पैकेजिंग” शब्दों, जहां-जहाँ वे आते हैं, के स्थान पर “बहुस्तरीय प्लास्टिक पाउच या थैली” शब्द रखे जाएंगे ।

8. उक्त नियमों के नियम 9 में, --

(क) खंड (क) में, “कैरी बैगों और बहुस्तरीय प्लास्टिकों” शब्दों के स्थान पर “प्लास्टिक कैरी बैग, बहुस्तरीय प्लास्टिक पाउच या थैली” शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) खंड (ख) में, “बहुस्तरीय प्लास्टिकों” शब्दों के स्थान पर “बहुस्तरीय प्लास्टिक पाउच या थैली” शब्द रखे जाएंगे ।

(ग) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(ग) कोई व्यक्ति अपने उत्पादन के प्रारंभ से पूर्व यथास्थिति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना प्लास्टिक कैरी बैगो, बहुस्तरीय प्लास्टिक पाउच या थैली या पुनःचक्रित प्लास्टिक कैरी बैगों या बहुस्तरीय प्लास्टिक पाउच या थैली या कोई अन्य प्लास्टिक अपशिष्ट का विनिर्माण नहीं करेगा” ;

(घ) खंड (ड) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(ड) (i) प्रत्येक, यथास्थिति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने का विनिश्चय करेगी :

परंतु यदि सभी प्रकार से पूर्ण किसी आवेदन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा आवेदक को अंतिम विनिश्चय संसूचित नहीं किया जाता है तो रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया समझा जाएगा ;

(ii) कोई विनिर्माता जो पुनःचक्रित प्लास्टिक विनिर्माण और उपयोग (संशोधन) नियम, 2003 के अधीन विनिर्माण के लिए पहले ही रजिस्ट्रीकृत है, उससे इन नियमों के अधीन रजिस्टर होने की अपेक्षा नहीं होगी और अन्य विनिर्माताओं को इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर उन्हें रजिस्टर होना होगा ।”।

(9) उक्त नियमों में, प्ररूप - 1 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“प्ररूप 1
(नियम 9 देखें)

प्लास्टिक कैंरी बैग, बहुस्तरीय प्लास्टिक पाउच या थैली के विनिर्माण के लिए किसी इकाई के
रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

प्रेषक

.....
.....
..... (अधिष्ठाता का नाम और पूरा पता)

सेवा में,

सदस्य सचिव,

.....
.....
..... राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति

महोदय,

मैं/हम प्लास्टिक अपशिष्ट (विनिर्माण और प्रहस्तन) नियम, 2011 के नियम 9 के अधीन
रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं।

भाग - क साधारण	
1. (क)	इकाई का नाम और अवस्थिति
(ख)	इकाई का पता
(ग)	निम्नलिखित के विनिर्माण के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रीकरण : (i) कैंरी बैग (ii) बहुस्तरीय प्लास्टिक पाउच या थैली
(घ)	विनिर्माण क्षमता
(ङ)	नवीकरण की दशा में पूर्व रजिस्ट्रीकरण संख्या और रजिस्ट्रीकरण की तारीख
2.	क्या इकाई, राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र के जिला उद्योग केन्द्र में (डी आई सी)/विकास आयुक्त लघु उद्योग/ (डी सी एस एस आई) में रजिस्ट्रीकृत है ? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें।
3. (क)	परियोजना पर विनिर्धानित कुल पूंजी
(ख)	उत्पादन के आरंभ करने का वर्ष
4. (क)	उत्पादों और उप उत्पादों की सूची और मात्रा

2470 90/11-2

(ख)	प्रयुक्त कच्ची सामग्री की सूची और मात्रा	
5.	उत्पादों और उत्पादित अपशिष्ट निबंधनों में जिसके अंतर्गत नियंत्रित विद्युत उत्पाद और जल भी है, इनपुट और आउटपुट को दर्शित करते हुए विनिर्माणकारी प्रक्रिया का एक प्रवाहित जायग्राम प्रस्तुत करें।	
6.	विनिर्मित किए जाने वाले कैरी बैगों की मोटाई	
7.	इन नियम के अनुपालन की प्रास्थिति	
	भाग ख द्रव बहिस्साव और गैसीय उत्सर्जन से संबंधित	
8.	(क) क्या इकाई, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के अधीन विधिमान्य सहमति रखती है ? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें।	
	(ख) क्या इकाई, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अधीन विधिमान्य सहमति रखती है ? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें।	
	भाग - ग अपशिष्ट से संबंधित	
9.	ठोस अपशिष्ट : (क) उत्पादित अपशिष्ट की कुल मात्रा (ख) संयंत्र के भीतर भंडारण की पद्धति (ग) अपशिष्टों के व्ययन के लिए किए गए उपबंध	
		नाम और हस्ताक्षर पदनाम ?
	स्थान :	
	तारीख :	

टिप्पण — मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में, अधिसूचना संख्यांक का.आ. 249(अ) तारीख 4 फरवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

[फा. सं. 17-2/2001-एचएसएमडी]

राजीव गौबा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd July, 2011

S.O. 1527(E).— Whereas the draft rules, namely, the Plastic Waste (Management and Handling) Amendment Rules, 2011 were published by the Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 782(E), dated the 21st April, 2011 in the Gazette of India, Extraordinary dated the 25th April, 2011 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of fifteen days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS copies of the said Gazette were made available to the public on the 5th day of May, 2011;

AND WHEREAS the objections and suggestions received within the said period from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the sections 3, 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby make the following rules to amend the Plastic Waste (Management and Handling) Rules, 2011, namely: —

1. (1) These rules may be called the Plastic Waste (Management and Handling) (Amendment) Rules, 2011.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Plastic Waste (Management and Handling) Rules, 2011 (herein referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely: —

“2(1) The provisions of rules 5 and 8 shall not apply to the manufacture of carry bags exclusively for export purposes, against an order for export, received by the owner or occupier of the concerned manufacturing unit.

(2) This exemption does not apply to any surplus or rejects, left over and the like.”.

3. In the said rules, in rule 3,—

(a) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

‘(b) “carry bags” mean bags made from any plastic material, used for the purpose of carrying or dispensing commodities but do not include bags that constitute or form an integral part of the packaging in which goods are sealed prior to use’;

(b) for clause (g), the following clause shall be substituted, namely:—

‘(g)“Extended producer’s responsibility (EPR)” means the responsibility of a manufacturer of plastic carry bags, and multilayered plastic pouches and sachets and the brand owners using such carry bags and multilayered plastic pouches and sachets for the environmentally sound management of the product until the end of its life;’;

(c) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely :—

‘(i) “manufacturer” means any person who manufactures plastic carry bags or multilayered plastic pouches or sachets or like;’;

(d) for clause (k), the following clause shall be substituted, namely :—

‘(k) “multilayered plastic pouch or sachet” means a pouch or sachet having at least one layer of plastic in combination with one or more layers of packaging material such as paper, paper board, metalised layers or aluminium foil, either in the form of a laminate or co-extruded structure;’;

(e) in clause (m), for the words “multilayered packaging”, the words “multilayered plastic pouch or sachet etc.” shall be substituted;

(f) for clause (n), the following clause shall be substituted, namely :—

‘(n) “registration” means registration with the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee concerned, as the case may be, of units manufacturing plastic carry bags, multilayered plastic pouch or sachet or recycling of plastic waste;’.

4. In the said rules, for rule 4, the following rule shall be substituted, namely:—

“4(a) for enforcement of the provisions of these rules related to registration, manufacture and recycling shall be the State Pollution Control Board and in respect of a Union territory shall be the Pollution Control Committee;

“(b) for enforcement of the provisions of these rules relating to the use, collection, segregation, transportation and disposal of plastic waste, the prescribed authority shall be the municipal authority concerned.”

5. In the said rules, in rule 5, —

(a) for clause (a), for the word “white”, the words “in natural shade (colourless) which is without any added pigments” shall be substituted.

(b) after sub-clause (f), the following sub-clause shall be inserted, namely:—

“(g) plastic material, in any form, shall not be used in any package for packing gutkha, pan masala and tobacco in all forms.”

6. In the said rules, in rule 6, —

(a) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:—

“(d) (i) the responsibility for setting up collection systems for plastic waste shall be of the municipal authority concerned and the said municipal authority may, for this purpose, seek the assistance of manufacturers of plastic carry bags, multilayered plastic pouches or sachets or of brand owners using such products;

(ii) the municipal authority may work out the modalities of a mechanism based on Extended Producer’s Responsibility involving such manufacturers, registered within its jurisdiction and brand owners with registered offices within its jurisdiction either individually or collectively, as feasible or set up such collection systems through its own agencies;”

(b) in clause (h), for the words “pollution norms” the words “pollution control norms” shall be substituted.

2470 5/11-3

7. In the said rules, in the rule 8, for the words "multilayered packaging", wherever they occur, the words "multilayered plastic pouch or sachet" shall be substituted.

8. In the said rules, in the rule 9, —

(a) in clause (a), for the words "carry bags and multilayered plastics", the words "plastic carry bags, multilayered plastic pouch or sachet" shall be substituted;

(b) for clause (b), for the words "multilayered plastics", the words "multilayered plastic pouch or sachet" shall be substituted;

(c) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely : —

"(c) no person shall manufacture plastic carry bags, multilayered plastic pouch or sachet or recycle plastic carry bags or multilayered plastic pouch or sachet or any plastic waste without obtaining registration certificate from the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, as the case may be, prior to the commencement of its production";

(d) for clause (e), the following clause shall be substituted, namely : —

"(e) (i) every State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, as the case may be, shall take a decision on the grant of registration within a period of ninety days of receipt of an application which shall complete in all respects:

Provided that the registration may be deemed to have been granted in case no final decision is communicated to the applicant by the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee within a period of ninety days from the date of an application complete in all respects;

(ii) the manufacturer who has already registered for manufacturing under the Recycled Plastics Manufacture and Usage (Amendment) Rules, 2003 shall not be required to register under these rules and whereas others shall have to register within the period of ninety days from the date of coming into force of these rules."

(9) In the said rules, for the FORM-I and the entries relating thereto, the following Form and entries shall be substituted, namely: —

"FORM - I

[See rules 9]

**APPLICATION FOR REGISTRATION OF A UNIT FOR THE
MANUFACTURING OF PLASTIC CARRY BAGS, MULTILAYERED PLASTIC
POUCH OR SACHET**

From:

.....

.....(Name and full address of the occupier)

To

The Member Secretary,

..... Pollution Control Board/Pollution Control Committee

.....

.....

Sir,

I/We hereby apply for registration under rule 9 of the Plastic Waste
(Management and Handling) Rules, 2011

PART - A GENERAL	
1.(a)	Name and location of the unit
(b)	Address of the unit
(c)	Registration required for manufacturing of: (i) Carry bags (ii) Multilayered plastic pouch or sachet
(d)	Manufacturing capacity
(e)	In case of renewal, previous registration number and date of registration
2.	Is the unit registered with the District Industries Centre (DIC)/Development Commissioner, Small Scale Industries (DCSSI) of the State Government/Union territory? If yes, attach a copy.
3.(a)	Total capital invested on the project
(b)	Year of commencement of production
4. (a)	List and quantum of products and by-products
(b)	List and quantum of raw materials used
5.	Furnish a flow diagram of manufacturing process showing input and output in terms of products and waste generated including for captive power generation and water.
6.	Thickness of carry bags to be manufactured

7.	Status of compliance with these rules	
PART – B PERTAINING TO LIQUID EFFLUENT AND GASEOUS EMISSIONS		
8.	(a) Does the unit have a valid consent under the Water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)? If yes, attach a copy	
	(b) Does the unit have a valid consent under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981)? If yes, attach a copy	
PART – C PERTAINING TO WASTE		
9.	Solid Wastes: (a) Total quantum of waste generated (b) Mode of storage within the plant (c) Provision made for disposal of wastes	
		Name and Signature Designation."
Date :		
Place :		

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification no SO 249 (E), dated the 4th February, 2011.

[F.No.17-2/2001-HSMD]

RAJIV GAUBA, Jt. Secy.